



75

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अपील प्रकरण क्रमांक

/2018 जिला-रायसेन

PBR/अपील/रायसेन/आ०अ०/२०१८/०७७८

मेसर्स सोम डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड,
सेहतगंज, जिला-रायसेन (म.प्र.)

-- अपीलार्थी

विरुद्ध

- 1- आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर
- 2- उपायुक्त, आबकारी संभागीय उडनदस्ता, भोपाल
- 3- जिला आबकारी अधिकारी जिला रायसेन
- 4- जिला आबकारी अधिकारी मेसर्स सोम डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड सेहतगंज जिला रायसेन

-- प्रत्यर्थागण

सोम डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड

दिनांक 01.2.18
प्रस्तुत प्रारम्भिक दस्तवे हेतु
दिनांक 13.2.18 निश्चित।

सोम डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड
सेहतगंज, जिला रायसेन, म.प्र.

न्यायालय/कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)/2017-18/6058 में पारित आदेश दिनांक 10.11.2017 के विरुद्ध मध्य प्रदेश, आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 के अन्तर्गत बने अपील रिवीजन तथा रिव्यू नियमों के पैरा (2) सी के अन्तर्गत अपील।

सोम डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/अपील/रायसेन/आ.अ./2018/0778

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26-12-2018	<p>अपीलार्थी द्वारा यह अपील म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 (जिसे संक्षेप में केवल अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 62 (2)(सी) के अन्तर्गत आबकारी आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर द्वारा पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)2017-18/6058 में पारित आदेश दिनांक 10-11-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्र क्रमांक 5(1)13-14/518 दिनांक 22-2-2014 द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए अपीलार्थी कम्पनी को उसे प्रदाय क्षेत्र जिला रायसेन के मद्यभाण्डागारों में एक दिन के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह कांच की बोतलों में रखने के निर्देश दिये गये थे। उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, भोपाल के प्रतिवेदन के अनुसार अपीलार्थी कम्पनी द्वारा जिला रायसेन के देशी मदिरा स्टोरेज भाण्डागारों पर अवधि माह अप्रैल, 2014 से मार्च 2015 तक कुल 149 दिन, एक दिवस के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह कांच की बोतलों में नहीं रखा गया है। अपीलार्थी कम्पनी द्वारा की गई उक्त अनियमितता के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। अपीलार्थी का उत्तर समाधानकारक नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय ने पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)2017-18/6058 में दिनांक 10-11-2017 को आदेश पारित कर अपीलार्थी कम्पनी द्वारा म.प्र. देशी स्पिरिट नियम, 1995 (जिसे संक्षेप में म.प्र. देशी स्पिरिट नियम कहा जायेगा) के नियम 4(4) व सी.एस. 1 लायसेंस की शर्त क्रमांक 3 का उल्लंघन किये जाने से नियम 12(1) के अंतर्गत दण्डनीय होने के कारण अपीलार्थी कम्पनी पर रुपये 15,000/- शास्ति अधिरोपित करने के साथ ही अपीलार्थी कम्पनी द्वारा देशी मदिरा स्टोरेज मद्यभाण्डागार रायसेन, गैरतगंज, बरेली एवं औबेदुल्लागंज पर उपरोक्त अवधि में कुल 149 दिन, एक दिवस के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत बोतलबंद देशी मदिरा संग्रह कांच की बोतलों में नहीं रखे जाने के कारण रुपये 250/- प्रतिदिन के मान से 37,250/- रुपये शास्ति अधिरोपित करते हुए कुल 52,250/- रुपये जमा करने के आदेश दिये गये। आबकारी आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।</p> <p>3/ अपीलार्थी कम्पनी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को सूचना,</p>	


सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर दिये बिना ही आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। यह भी कहा गया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा देशी स्टोरेज मद्यभाण्डागारों पर आवश्यकता व मांग अनुसार निरंतर मदिरा प्रदाय किया गया है। तर्क में यह भी कहा गया कि किसी भी फुटकर ठेकेदार द्वारा मदिरा दुकानें बंद रहने के कारण क्षति पूर्ति की मांग नहीं किया गया है और न ही फुटकर ठेकेदारों की मांग के अनुसार प्रदाय देने में कोई विलम्ब हुआ है, अतः अपीलार्थी कम्पनी पर चालान लंबित रहने संबंधी जो आरोप लगाये गये हैं, वह वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा देशी मदिरा प्रदाय की अनुमति की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है। यह भी कहा गया कि अपीलार्थी कम्पनी एवं शासन के मध्य एक संविदा है, जिसके अनुसार यदि किसी पक्ष को हानि होती है तो उस हानि की सीमा तक पूर्ति की जा सकती है। चूंकि वर्तमान प्रकरण में शासन को कोई हानि नहीं हुई है और यदि शासन को राजस्व की कोई हानि हुई है तो इसे सिद्ध करने का प्रमाण भार राज्य शासन पर था, जो कि उनके द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है। अतः प्रमाण भार के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कारण बताओ सूचना पत्र का विधिवत जवाब एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन पर कोई विचार नहीं किया गया है और न ही उनका आदेश में उल्लेख किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध एवं अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

4/ प्रत्यर्थागण शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा माह अप्रैल, 2014 से मार्च 2015 तक की अवधि में उसे प्रदाय क्षेत्र जिला रायसेन के मद्यभाण्डागारों में कुल 149 दिवस, एक दिन के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह कांच की बोतलो में निर्धारित संग्रह नहीं रखा गया है, अतः अपीलार्थी कम्पनी का उक्त कृत्य नियम एवं लायसेंस की शर्त का स्पष्टतः उल्लंघन है। उपरोक्त स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी पर जो शास्ति अधिरोपित की गई है, वह उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा देशी मदिरा स्टोरेज मद्यभाण्डागार रायसेन, गैरतगंज, बरेली एवं औबेदुल्लागंज पर माह अप्रैल,

2014 से मार्च 2015 तक की अवधि में कुल 149 दिन, एक दिवस के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत बोतलबंद देशी मदिरा संग्रह कांच की बोतलों में नहीं रखा गया है, जबकि म.प्र. देशी स्प्रिट नियमों के नियम 4(4) के अनुसार प्रदाय संविदाकार द्वारा स्टोरेज मद्य भाण्डागार में एक दिन के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह कांच की बोतलों में रखना अनिवार्य है। भले ही अपीलार्थी द्वारा स्टोरेज मद्य भाण्डागार में एक दिन के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह कांच की बोतलों में नहीं रखने से शासन को राजस्व की हानि नहीं हुई हो, परन्तु अपीलार्थी कम्पनी को विहित वैधानिक व्यवस्था का पालन करना आवश्यक है, जिसका पालन अपीलार्थी कम्पनी द्वारा नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी कम्पनी का उक्त कृत्य म.प्र. देशी स्प्रिट नियमों के नियम 4(4) व सी.एस. 1 लायसेंस की शर्त क्रमांक 3 का उल्लंघन होकर नियम 12(1) के तहत दण्डनीय होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी पर 15,000/- रुपये शास्ति अधिरोपित करते हुए अपीलार्थी कम्पनी द्वारा उसे प्रदाय क्षेत्र के मद्यभाण्डागारों में उपरोक्त अवधि में कुल 149 दिवस कांच की बोतलों में एक दिवस के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह नहीं रखने से 250/- रुपये प्रतिदिन के मान से 37,250/- रुपये अधिरोपित करते हुए कुल 52,250/- रुपये जमा करने के जो आदेश दिये गये हैं, वह उचित होने से उसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः इस संबंध में अपीलार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है। दर्शित परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 10-11-2017 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। अपील निरस्त की जाती है।


अ३३


(मनोज गोयल)
अध्यक्ष